V (20516)

LL.B. -IInd Sem.

12208

LL.B. (II Semester) Exam.- June, 2016 Law Constitutional Law of India II

Constitutional Law of India-II [K-2002]

Time: Three Hours/

[Maximum Marks: 100

Roll No.....

Note: Attempt all the sections as per instructions.

नोट: सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल करें।

Section-A ভড্ড–अ

Note: Attempt all five questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words.

नोट: सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

- Explain the doctrine of colourable legislation. (4)
 छद्म विधायन के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
- 2. Explain the doctrine of Pleasure. (4) प्रसाद पर्यन्त के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

3. By whom and on what grounds National emergency may be declared? (4) राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके द्वारा तथा किन आधारों पर की जाती है?

- Discuss the principle of collective responsibility of the 'Council of Ministers'. (4) मंत्रीपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
- 5. On what grounds a judge of Supreme Court may be removed? (4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर पद्च्युत किया जा सकता है?

https://www.ccsustudy.com

Section-B

खण्ड—ब

Note: Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words.

नोट: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

12208-B-12120

https://www.ccsustudy.com

https://www.ccsustudy.com

12208-B-12120

https://www.ccsustudy.com

3

- 6. Write short note on Tortions liability of the Government for act committed by its servants? (10) सरकार के अपने कर्मचारी द्वारा किए कृत्यों के अपकृत्यात्मक दायित्व पर संसक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- Discuss the powers, privileges and immunities of members of the Parliament. (10)
 संसद के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का वर्णन कीजिए।
- 8. Discuss the procedure of Passing of Money Bill. (10) धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। https://www.ccsustudy.com

Section-C खण्ड-स

Note: Attempt any three questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detailed.

नोट: निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. Discuss the power and position of the President of India under the Indian Constitution. (20) भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों एवं संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए।

12208-B-12120

4

- 10. "Basic structure theory is a judicial innovation, it has not been mentioned in the text of the Constitution." Comment. Discuss with the help of decided cases the concept of basic structure. (20) "मूलभूत ढाँचे का सिद्धान्त एक न्यायिक कृति है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए। निर्णित वादों की सहायता से मूलभूत ढाँचे के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
- 11. Discuss the distribution of legislative powers between the Centre and the States. When can Parliament legislate on a matter in the State list? (20) केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की व्याख्या कीजिए। संसद कब राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है?

https://www.ccsustudy.com

- 12. Describe the jurisdiction and power of the Supreme Court of India. (20) भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए।
- 13. Discuss the freedom of trade, commerce and intercourse as provided under the Indian Constitution. (20) भारतीय संविधान में प्रदत्त, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए।

12208-B-12120

https://www.ccsustudy.com

https://www.ccsustudy.com